3.अनुबंधित चिकित्सालय में उपचार

3. (अ) रैफरल प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही

इकाई प्रमुख द्वारा रैफर किए गए प्रकरण प्राप्त होने पर उपचार के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अंतर्गत अधिकृत बीमारियों के उपचार हेतु संभावित व्यय का उल्लेख कर पीएआर (प्रारूप–5) तैयार कर अविलम्ब अनुमोदन हेतु संबंधित इकाई प्रमुख को प्रेषित करेगें तथा एम.ओ.यू. में उल्लैखित शर्तो के अनुरूप सदस्य/आश्रित को उपचार हेतु भर्ती कर कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करेगें ।

3. (ब) आकस्मिकता की स्थिति में जहॉ तत्काल उपचार प्रारम्भ करना आवश्यक हो चिकित्सालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

आकस्मिकता की स्थिति में सदस्य/आश्रित की जीवन रक्षा हेतु बिना रैफरल के ही अनुबंधित चिकित्सालय में सदस्य/आश्रित के जाने पर चिकित्सालय द्वारा तत्काल आवश्यक उपचार प्रारम्भ करने के साथ ही ब्त्ज्थ्ङ।ज्म थ्ट म्डम्त्ळम्छब्ल ।क्डैप्प्छ – ज्त्म ।ज्डम्छज (प्रारूप–6), च।त (प्रारूप –5), जारी कर रैफरल प्राप्त करने हेतु संबंधित इकाई प्रमुख को अनुरोध किया जावेगा । निर्धारित समयसीमा के भीतर इकाई प्रमुख से रैफरल पत्र प्राप्त न होने पर उपचाररत सदस्य/आश्रित को संबंधित बीमारी/सर्जरी के उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय में जाने की सलाह देगें । पात्रता न होने पर कर्मचारी स्वयं के व्यय पर उपचार करा सकेगा ।

3. (स) उपचार उपरान्त अनुबंधित निजी चिकित्सालय द्वारा भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किया जाना

नियमानुसार उपचार/चिकित्सा/सर्जरी उपरान्त रैफरल पत्र,पीएआर,पैकेज के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप फार्म–1, नियम–8(1) में चिकित्सा देयक तैयार कर संबंधित सदस्य एंव उपचार करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर करा कर समस्त मूल प्रपत्र, फीडबैक फार्म सहित रैफरल जारी करने वाले इकाई प्रमुख की ओर देयक के भुगतान हेतु प्रेषित किये जायेगें ।